



प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, कार्यालय
OFFICE OF FIRST APPELLATE, AUTHORITY
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA SAGAR
e-mail : appealdhsgsu2018@gmail.com (A Central University) ☎ 07582-297107

कं. आर./प्र.अपील.कार्या./2025/234

दिनांक:-28 अगस्त, 2025

प्रति,

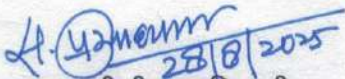
समस्त विभाग प्रमुख/समलोक सूचना अधिकारी,
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय,
सागर (म.प्र.)

विषय:- प्रथम अपीलीय प्रकरण में समलोक सूचना अधिकारी को उपस्थित होने बावत्।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आवेदकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, कार्यालय द्वारा आवेदक एवं संबंधित विभागों/शाखाओं के विभागप्रमुखों एवं समलोक सूचना अधिकारियों को अपील सुनवाई में उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया जाता है।

ज्ञातव्य हो कि संबंधित विभागों/शाखाओं के विभागप्रमुखों एवं समलोक सूचना अधिकारियों का प्रथम अपील सुनवाई के दौरान उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रायः यह देखा जा रहा है कि संबंधित विभागों/शाखाओं द्वारा कर्मचारियों को संबंधित जानकारी लेकर प्रथम अपीलीय सुनवाई में भेज दिया जाता है, जो कि गलत है जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

उपरोक्त के आलोक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त विभाग प्रमुखों एवं समलोक सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है, कि प्रथम अपीलीय सुनवाई हेतु उपस्थित होकर, प्रकरणों के निराकरण में सहयोग प्रदान करें।


28/8/2025
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय-सागर (म.प्र.)
अपीलीय अधिकारी
डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति जी के निज सचिव को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव जी के निजी सहायक कुलसचिव, डॉ. हरीसिंह गौर वि.वि. सागर की ओर सूचनार्थ।
3. लोक सूचना अधिकारी, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
4. गार्ड फाईल।